"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2009—माघ 17, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

क्रमांक ई-1-23/2005/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-1-2006 के द्वारा निम्नलिखित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (रु. 15100-400-18300) में पदोन्नति प्रदाय की गई थी :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	तत्कालीन पदस्थापना (दि. 1-1-2006 की स्थिति में)	वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अमित अग्रवाल, (1993)	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत (प्रोफार्मा पदोन्नति)	निदेशक, प्रधान मंत्री कार्यालय (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	डॉ. बी. एस. अनंत, (1993)	विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं संचालक, खाद्य एवं नियंत्रक, नापतौल.	आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नियंत्रक, नापतौल एवं सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
3.	श्री मनोहर पाण्डे, (1993)	सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़	सचिव, गृह विभाग
4.	श्री एस. के. तिवारी, (1993)	कलेक्टर, महासमुंद	आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर.

2. अत: एतदद्वारा उक्त आदेश के अनुक्रम में प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिनांक 1-1-2006 से देय होगा.

3. श्री अमित अग्रवाल, भा. प्र. से. (सीजी: 1993), जो वर्तमान में भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, को छत्तीसगढ़ संवर्ग में उनसे कनिष्ठ अधिकारी डॉ. बी. एस. अनंत, भा. प्र. से. (सीजी: 1993) के प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 15100-400-18300 में पदोन्नति की दिनांक अर्थात् दिनांक 1-1-2006 से, प्रवर श्रेणी वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति देय होगा.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/1/2.—श्री अमित कटारिया, भा. प्र. से. (2004) आयुक्त, नगर निगम, रायपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2009

फा. क्र. 426/3 (बी)/3/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतदद्वारा, श्री बलराम प्रसाद वर्मा आत्मज श्री परदेशी राम वर्मा को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 16750-400-19150-450-20500 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2009

फा. क्र. 428/3 (बी)/4/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतदद्वारा, श्री हेमंत सराफ आत्मज-श्री लक्ष्मी नारायण सराफ को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 16750-400-19150-450-20500 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2008

क्रमांक/एफ 1/31/दो गृह/भापुसे/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री माइथुंगो तुंगोए, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला-बस्तर के दिनांक 01-10-2008 से दिनांक 11-11-2008 तक कुल 42 दिवस के अवकाश का निराकरण करते हुए उन्हें 07 दिवस का अर्जित अवकाश, 15 दिवस का अर्धवैतनिक अवकाश तथा शेष 20 दिवस का अवैतनिक अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री माइथुंगो तुंगोए, भापुसे के पद पर पदस्थ होंगे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री माइथुंगो तुंगोए, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

क्रमांक/एफ 1/44/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री टी. जे. लांगकुमेर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, को दिनांक 21-04-2007 से दिनांक 02-07-2007 तक कुल 73 दिवस के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. टी. जे. लांगकुमेर, भापुसे, को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री टी. जे. लांगकुमेर, भापुसे पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ होंगे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री टी. जे. लांगकुमेर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2009

संशोधित आदेश

क्रमांक/एफ 1/07/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 26-12-2008 को संशोधित करते हुए श्री अंकित कुमार गर्ग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर, छ. ग. को दिनांक 30-12-2008 से दिनांक 13-01-2009 तक कुल 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत करता है.

2. श्री अंकित कुमार गर्ग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्यभार श्री जे. एस. बट्टी, रापुसे, सेनानी, 5वीं वाहिनी, छ. स. बल, जगदलपुर को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

3. श्री अंकित कुमार गर्ग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अंकित कुमार गर्ग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित कुमार गर्ग, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

संशोधित आदेश

क्रमांक/एफ 1/13/दो गृह/भापुसे/2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 04-11-2008 को संशोधित करते हुए श्री एन. के. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन/प्रशासन 1), पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ. ग. को अपनी पुत्री के विवाह हेतु दिनांक 25-11-2008 से 12-12-2008 तक कुल 18 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति एवं 13-14 दिसंबर 2008 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश के लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री एन. के. एस. ठाकुर, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका चालू कार्यभार श्री के. के. अग्रवाल, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (लेखा/कल्याण), पुलिस मुख्यालय रायपुर को अस्थाई रूप से उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

3. श्री एन. के. एस. ठाकुर, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन/प्रशासन 1), पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. के. एस. ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एल. लिखाटे, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 8-2/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी., कोरबा के बॉयलर क्र.-एम. पी./3569 को दिनांक 01-12-2008 से 31-03-2009 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबधों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बॉयलर क्र.-एम. पी./3657 को दिनांक 11-12-2008 से 10-01-2009 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से कार्योत्तर अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 दिसंबर 2008

क्रमांक 2301/एफ. 21/67/13/2/ऊवि/वि. श. छू./2008.—चूंकि औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत राज्य में नवीन औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए थ्रस्ट सेक्टर के उद्योगों, जिसमें उद्योग विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-14-1/2003/(6)/11 रायपुर दिनांक 13-02-2003 में परिभाषित समस्त थ्रस्ट सेक्टर में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को (उद्योग विभाग की उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट में सरल क्रमांक 2.4 (1) के अंतर्गत कोयला एवं कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लांट थ्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित है) ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3313/सचिव/ऊ. वि./2003 दिनांक 18-08-2003 के अनुसार औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य में व्यवसायिक उत्पादन आरंभ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है.

अतः छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 (क्रमांक × वर्ष 1949) की धारा-3 बी. में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अविभाजित मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1992 में केप्टिव विद्युत उत्पादकों को विद्युत शुल्क में छूट हेतु जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 5857-एफ-10-2-तेरह-90 दिनांक 06 नवम्बर 1992 को निरस्त किया जाता है.

परंतु, दिनांक 06 नवम्बर, 1992 में जारी संदर्भित अधिसूचना के अंतर्गत संबंधित इकाईयों को पूर्व में विद्युत शुल्क में छूट की सुविधा, इस हेतु प्रभावशील अवधि के लिये जारी किये गये प्रमाण-पत्र के अनुसार यथावत् रहेंगी, लेकिन छूट प्राप्त कर रही इन सभी औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक नीति 2001-06 अथवा भविष्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली सुविधाओं, के अंतर्गत विद्युत शुल्क में छूट की पात्रता नहीं रहेगी.

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील रहेगी.

रायपुर, दिनांक 31 दिसंबर 2008

क्रमांक 2391/एफ. 21/69/13/2/ऊवि/वि. श. छू./2008.—चूंकि औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत राज्य में नवीन औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों (जिन्हें उद्योग विभाग द्वारा पृथक से परिभाषित किया जायेगा) के द्वारा 150 के. व्ही. ए. क्षमता तक के जनरेटर द्वारा स्वयं उपयोग के लिये उत्पादित विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग इकाईयों (जिन्हें उद्योग विभाग द्वारा पृथक से परिभाषित किया जायेगा), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले लघु उद्योगों, मेगा उद्योगों (स्थाई परिसंपत्ति पर रुपये 100 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाले उद्योग) तथा थ्रस्ट सेक्टर के उद्योगों, जिसमें उद्योग विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ-14-1-2003/(6)/11 रायपुर दिनांक 13-02-2003 में परिभाषित समस्त थ्रस्ट सेक्टर में स्थापित होने वाले नये उद्योगों (उद्योग विभाग की उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट में सरल क्रमांक 2.4 (1) के अंतर्गत कोयला एवं कोयले पर आधारित थर्मल पावर प्लांट थ्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित है) को पृथक-पृथक तिथियों पर ऊर्जा विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार औद्योगिक इकाईयों द्वारा राज्य में व्यवसायिक उत्पादन आरंभ करने के दिनांक से संबंधित अधिसूचनाओं में उल्लेखित अवधि के लिये विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है,

अतः छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम 1949 (क्रमांक × वर्ष 1949) की धारा-3 बी. में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अविभाजित मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2000 मेसर्स जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, रायगढ़ द्वारा नवीन उद्योग के लिये स्थापित किये जाने वाले केप्टिव जनरेटिंग स्टेशन से ऐसे नवीन उद्योग द्वारा उपभोगित विद्युत शक्ति को विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिये विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करने के लिये जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 5328-एफ-13-55-तेरह-2000 दिनांक 29 जुलाई, 2000 को निरस्त किया जाता है.

परंतु, दिनांक 29 जुलाई, 2000 में जारी संदर्भित अधिसूचना के अंतर्गत संबंधित इकाईयों को पूर्व में विद्युत शुल्क में छूट की सुविधा, इस हेतु प्रभावशील अवधि के लिये जारी किये गये प्रमाण-पत्र के अनुसार यथावत् रहेगी.

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 जनवरी 2009

क्रमांक/230/भू-अर्जन/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पनियाजोब प. ह. नं. 16	600 (0.15 डि.)	कार्यपालन अभियंता, लो. स्वा. यां. खण्ड, राजनांदगांव.	डोंगरगढ़ आवर्धन ज. प्र. यो. हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2009

क्रमांक 8/अ-82/07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लाखासार प. ह. नं. 18	5.110	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	विन्ध्यासर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 3 जनवरी 2009

क्रमांक/37/भू-अर्जन/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गफीट में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
कोरिया	बैकुंठपुर	जूनापारा	277/1	0.492 हे. में से 2700 वर्गफीट	कलेक्टर, कोरिया	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासहीनों के लिए भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैकुंठपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 3 जनवरी 2009

क्रमांक/37/भू-अर्जन/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गफीट में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
कोरिया	बैकुंठपुर	रामपुर प. ह. नं. 05	48/2	1.059 हे. में से 1800 वर्गफीट	कलेक्टर, कोरिया	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासहीनों के लिए भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैकुंठपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 3 जनवरी 2009

क्रमांक/37/भू-अर्जन/09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (वर्गफीट में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
कोरिया	बैकुंठपुर	कंचनपुर	635/1 क	0.288 हे. में से 900 वर्गफीट	कलेक्टर, कोरिया	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवासहीनों के लिए भूमि अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैकुंठपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 19 जनवरी 2009

रा. प्र. क्र. 27-अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स. लोहारा	मोतिमपुर प. ह. नं. 49	12.047	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाठ परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम (छ. ग.)	नया मोतिमपुर ग्राम की बसाहट हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर, दिनांक 16 जनवरी 2009

रा. प्र. क्रमांक 03/अ 82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बोरसी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	175/1	0.093
	215	0.150
योग	2	0.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छैडोलिया जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पामगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25 /अ-8[illegible]/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-उर्दना, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.606 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/4	0.462
1/3	0.607
2/3	0.170
8/1	0.283
10/5	1.011
13/3	0.809
38/3	0.012
4/2	1.012
10/2	0.186
1/2	0.506
2/1	0.166
3	0.145
10/1	0.186
11	0.979
37	0.020
36	0.041
35/2	0.089
10/4	0.166
5	0.170
2/2	0.170
4/1	0.344
10/3	0.166
13/2	0.501
34	0.081
38/2	0.029

	(1)	(2)
	8/2	0.284
	10/6	1.011
योग	27	9.606

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- केलो परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/07+08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कबीरधाम
(ख) तहसील-स. लोहारा
(ग) नगर/ग्राम-मोतिमपुर, प. ह. नं. 49
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.983 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	141/2	0.089
	140/3	0.061
	129/14	0.001
	167/3	0.061
	167/8	0.020
	141/1	0.317
	140/2	0.061
	167/2	0.081
	140/1	0.005
	140/4	0.061
	167/9	0.085
	140/5	0.061
	129/16	0.001
	167/6	0.081
	163	0.959
	166	0.235
	121	0.174
	168/1	0.944
	120/5, 120/6, 167/4	0.149
	168/2, 168/4, 168/5	0.196
	168/3	1.031
	120/8, 120/9, 167/7	0.150
	168/6	0.405
	167/1	0.506
	167/7	0.505
	117/1, 119/1, 120/1	0.427
	124/3	0.081
	117/2	0.331
	118/1	0.020
	119/6, 120/10	0.024
	119/2, 120/2	0.607
	116/3	0.223
	119/3, 120/3	0.243
	116/2	0.202
	119/4, 120/8	0.032
	119/5, 120/9	0.053
	119/7, 120/4	0.202
	119/8, 120/12	0.053
	120/4	0.121
	122	0.089
	124/1	0.138
	118/2	0.016
	124/2	0.081
	125	0.113
	128/1	0.129
	128/2	0.129
	116/1	0.048
	117/4	0.087
	116, 185/2	0.121
	29	0.195
	180/3	0.761
	180/2	0.160
	103	1.058
योग	53	11.983

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करांनाला बैराज परियोजना डुबान में.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोतिमपुर, प. ह. नं. 49
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-
  - (अ) मकान की संख्या - 91
  - (ब) मकान निर्मित क्षेत्रफल-7585.52 वर्ग मीटर
  - (स) कोठार/बाड़ी क्षेत्रफल-29787.50 वर्ग मीटर
  - (द) विभिन्न प्रजाति के वृक्षों की संख्या-352 नग

क्रमांक	नाम मकान मालिक मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा (हे.) अर्जित	मकान स्थिति भूमि का प्रकार	मकान को प्रकार	छत/छप्पर का प्रकार	मकान निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कुंआ का प्रकार	कुंआ का क्षेत्रफल गहरा/चौड़ा (मी. में)	कोठार/बाड़ी का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	विभिन्न वृक्षों की कुल संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	त्रिलोचन/झड़ुवा गोंड	130/3 का टु.	0.007	रास्ता	कच्चा	खपरैल	24.75	-	-	70.00	1
2.	सुकालूराम/त्रिलोकी गोंड	130/2 का टु.	0.063	आबादी	कच्चा	खपरैल	133.00	-	-	635.00	5
3.	रैनबती जौजे जेठूराम गोंड	130/2 का टु.	0.032	आबादी	कच्चा	खपरैल	132.00	-	-	323.00	8
4.	रामकुंवर जौजे पनउ	130/2 का टु.	0.050	आबादी	कच्चा	खपरैल	132.10	-	-	503.00	2
5.	गौतरिहा/पनउ गोंड	130/2 का टु.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	भगेला राम/मखनू साहू	130/2 का टु.	0.014	आबादी	कच्चा	खपरैल	175.00	-	-	143.00	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	राजू/भगेला साहू	127 का टु.	0.031	घास	कच्चा	खपरैल	60.00	–	–	310.00	–
8.	भागोबाई जौजे घुरवा यादव	130/2 का टु.	0.037	आबादी	कच्चा	खपरैल	141.45	–	–	374.00	8
9.	रमेश्र/घुरवा यादव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	जगेश्वर/घुरवा यादव	130/2 का टु.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	रमेश्र /घुरवा यादव	130/1 का टु.	0.037	घास	कच्चा	खपरैल	121.09	–	–	374.50	7
12.	झड़ी राम/घुरउ साहू	130/1 का टु.	0.050	घास	कच्चा	खपरैल	42.48	–	–	509.00	3
13.	गनपत राम/घुरउ साहू	130/1 का टु.	0.090	घास	कच्चा	खपरैल	164.67	–	–	906.00	24
14.	नन्दूराम/उदेराम गोंड	130/1/28 का टु.	0.028/ 0.080	घास/बाड़े, झाड़ का जंगल	कच्चा	खपरैल	319.50	–	–	280.00/ 803.00	11
15.	धनीराम/नन्दूराम गोंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	धनसिंह/नन्दूराम गोंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	रमैया/गणेश यादव	28 का टु.	0.065	बाड़े झाड़ का जंगल	कच्चा	खपरैल	114.85	–	–	648.00	6
18.	चरनू/शीतल यादव, जोहन राम/चरनू	127/1 का टु.	0.057	घास	कच्चा	खपरैल	193.15	पक्का	4.00/2.05	574.00	26
19.	जोहनराम/चरनू यादव	126/का टु. 128/1 का टु.	0.010 0.024	आबादी लगानी	कच्चा कच्चा	खपरैल खपरैल	60.00 62.60	– –	– –	101.00 244.00	2 –

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20.	गणेश/ढेलउ यादव	127/1 का टु.	0.017	घास	कच्चा	खपरैल	64.60	–	–	174.00	5
21.	झुमुक/हिरउ यादव	127/1 का टु.	0.031	घास	कच्चा	खपरैल	115.44	–	–	312.00	2
22.	पंचम/फगनू यादव	127/1 का टु.	0.108	घास	कच्चा	खपरैल	86.40	–	–	1081.00	11
23.	रामप्रसाद/पंचम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	चैतुराम/पंचम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	चैन सिंह/पंचू	15 का टु.	0.198	घास	कच्चा	खपरैल	210.80	–	–	1980.00	25
26.	संतोष/चैन सिंह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	श्यामलाल/गणेश यादव	127/1 का टु.	0.042	घास	कच्चा	खपरैल	193.60	–	–	421.00	5
28.	सुन्दरलाल/श्यामलाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	बुधराम/गुहरी यादव	127/1 का टु.	0.012	घास	कच्चा	खपरैल	116.40	–	–	125.00	–
30.	कृष्णाराम/बुधराम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	धरमपाल/केशरलाल	127/1 का टु.	0.018	घास	कच्चा	खपरैल	130.00	–	–	183.00	–
32.	केशर/बुधराम यादव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	पुसउ/झाडुदार साहु	126 का टु.	0.055	आबादी	कच्चा	खपरैल	53.20	–	–	552.00	–
34.	सुकोबाई पति नीलकंठ	126 125 का टु.	0.044 0.20	आबादी लगानी	कच्चा	खपरैल	285.49	पक्का	8.00 m 1.50 m	447.00/ 2600.00	23

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
35.	मूलचंद/खेमलाल गोंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	खेमलाल/हीरा गोंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	जगनू/दुखुराम यादव	123 का टु.	0.016	आबादी	कच्चा	खपरैल	149.90	-	-	168.00	-
38.	जगनलाल/दुखुराम	123 का टु.	0.016	आबादी	कच्चा	खपरैल	149.20	-	-	168.00	-
39.	रामखिलावन/जगनलाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	धरमसिंह बल्लूराम	123 का टु.	0.015	आबादी	कच्चा	खपरैल	46.90	-	-	158.00	-
41.	रामसहाय/धरमसिंह	123 का टु.	0.036	आबादी	कच्चा	खपरैल	73.90	पक्का	8.00 3.10	368.00	1
42.	राजेश/रामसहाय	123 का टु.	0.007	आबादी	कच्चा	खपरैल	73.80	-	-	71.00	-
43.	राजू/रामसहाय साहू	115/129/10 का टु.	0.014 0.106	घास लगानी	कच्चा	खपरैल	183.90	-	-	140/1066	5/7
44.	कन्हैया/बिसम्भर महार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	रामकिसुन/धरमसिंह साहू	123 का टु.	0.019	आबादी	कच्चा	खपरैल	136.05	-	-	196.00	1
46.	रामलाल/रामकिसुन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	गरीबा उर्फ रामनाथ/धरमसिंह	123, 117/1, 119/1, 120/1 का टु.	0.019	आबादी लगानी	कच्चा	खपरैल	131.02/ 17.86	पक्का	7.00/2.70	196.00	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
48.	चतुर/गरीबा साहु	118/1 का टु.	–	लगानी	कच्चा	खपरैल	48.60	–	–	–	6
49.	सुकलाल/खोरबहरा	130/2 का टु.	0.060	आबादी	कच्चा	खपरैल	176.00	–	–	603.00	1
50.	दिनेश/सुकलाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51.	गेन्दलाल/खोरबहरा	123, 118/1 का टु.	0.038	आबादी लगानी	कच्चा	खपरैल	145.12/ 32.50	पक्का	8.00/2.55	387.00	6
52.	रामकुमार/गेन्दलाल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53.	रामजी/गेन्दलाल महार	123 का टु.	0.074	आबादी	कच्चा	खपरैल	58.10/73.40	–	–	748.00	8
54.	श्यामलाल/खोरबहरा	123 का टु.	–	आबादी	कच्चा	खपरैल	–	–	–	–	–
55.	बलीराम/झुमुक यादव	123, 124/2, 118/2 का टु.	0.081 0.020	आबादी लगानी लगानी	कच्चा	खपरैल	109.05	–	–	112.00/ 236.00	16
56.	शंकरलाल/झुमुक यादव	123/ 124/2, 115 का टु.	0.0112 0.0193 0.1391	आबादी लगानी घास	कच्चा कच्चा	खपरैल खपरैल	119.70 201.90	– –	– –	112/193 1391.00	8 31
57.	कुंवारू/तुलसिंह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
58.	कलीराम/झुमुक यादव	123/124/2 का टु.	0.0112 0.0193	आबादी लगानी	कच्चा	खपरैल	119.50	–	–	112/193	6
59.	संतोष/कलीराम यादव	118/2 का टु.	0.020	लगानी	कच्चा	खपरैल	37.50	–	–	200.00	5
60.	पुनिया बाई जौजे मंगल महार	130/1 का टु.	0.090	घास	कच्चा	खपरैल	178.39	–	–	900.00	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61.	चन्द्रकली/मंगल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62.	भीखनू/मंगल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63.	बुधारी/मंगल महार	123 का टु.	0.018	आबादी	कच्चा	खपरैल	48.75	–	–	182.00	4
64.	सुखराजी/मंगल महार	123 का टु.	0.037	आबादी	कच्चा	खपरैल	200.88	–	–	374.00	3
65.	भीखम/मंगल महार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
66.	शोभित/राधेलाल महार	130/1 का टु.	0.090	घास	कच्चा	खपरैल	100.30	–	–	900.00	3
67.	मोहित/राधेलाल महार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
68.	दुखुराम/फगनु यादव	128/2 का टु.	0.090	लगानी	कच्चा	खपरैल	155.94	–	–	930.00	3
69.	संतोष/सगुन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70.	रामचरन/हनुमान सिंह	123 का टु.	0.096	आबादी	कच्चा	खपरैल	249.16	–	–	968.00	21
71.	रमेश्वर/रामचरन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72.	रमेश/रामचरन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73.	सीताबाई/रामसिंह गोंड	123 का टु.	0.050	आबादी	कच्चा	खपरैल	199.90	–	–	504.00	16
74.	परेटन/रामसिंह	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75.	फन्दूलाल/चरनू यादव	123 का टु.	0.016	आबादी	कच्चा	खपरैल	185.55	–	–	163.00	–
76.	भागीरथी/फन्दू राम यादव	128/1 का टु.	0.028	लगानी	कच्चा	खपरैल	165.51	–	–	287.00	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
77.	[illegible] सिंह/चरनू यादव	128/1 का टु.	0.023	लगानी	कच्चा	खपरैल	107.00	-	-	231.00	-
78.	[illegible]ुन/चरनू यादव	128/1 का टु.	0.023	लगानी	कच्चा	खपरैल	109.68	-	-	231.00	-
79.	टेकम सिंह/खेमलाल गोंड	123 का टु.	0.010	आबादी	कच्चा	खपरैल	64.00	पक्का	4.50/2.25	107.00	-
80.	चैतराम/बखरिया यादव	126 का टु.	0.015	आबादी	कच्चा	खपरैल	94.65	-	-	158.00	3
81.	तीजराम/बखरिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.	सुन्तिबाई/बखरिया यादव	126 का टु.	0.060	आबादी	कच्चा	खपरैल	150.80	-	-	600.00	5
83.	गौकरण/चैतराम यादव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.	गोरेलाल/गनेश यादव	130/1 का टु.	0.060	घास	कच्चा	खपरैल	140.30	-	-	669.00	2
85.	दिनेश/गोरेलाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.	बंसीराम/गोरेलाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.	धनसाय/मानसिंह	138/5 का टु.	0.109	लगानी	कच्चा	खपरैल	112.50	-	-	1093.00	3
88.	रामसाय/मानसिंह	138/5 का टु.	-	-	कच्चा	खपरैल	106.14	-	-	-	-
	योग		2.955 Ha.	-	-	-	7585.52 वर्ग मी.	-	-	29787.50 वर्ग मी.	352 नं.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-क्रर्रनाला बैराज परियोजना के डुबान में परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.